स्वयं सहायता समूह एवं महिलाओं का विकास : हरदोई जिले के एक चयनित ब्लॉक का अध्ययन

(Self Help Group and Development of Women : A Study of Selected Block of Hardoi District)

शोध सारांश

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र विषय में एम० फिल० उपाधि हेतु प्रस्तुत

मास्टर ऑफ फिलॉसफी

(एम० फिल०)

शोधार्थी

मोनिका वर्मा

नामांकन सं0 943/17

शोध निर्देशक

प्रो० विभूति भूषण मलिक

समाजशास्त्र विभाग

अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

विद्या विहार, रायबरेली रोड लखनऊ (उ०प्र०)

2019

शोध सारांश

प्रस्तावना

ज्यादातर देश आज परिवार, समुदाय और राष्ट्र के विकास के लिए स्त्री–पुरुष समानता और नारी सशक्तिकरण को अनिवार्य मानते है। सामान्यतः अधिकांश देशों की महिलाएं हमेशा भेदभाव की शिकार होती रही हैं तथा उन्हें अधिकार विहीन भी रखा जाता रहा है (भसीन कमला 2016)। समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण महिलाओं को पुरुषों के अधीन समझा जाता है तथा उन्हें महिला पुरुष असमानता जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामाजिक नीतियां भी अक्सर इसी अनुमान पर ही आधारित होती है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं, उन्हें समर्थन की अधिक जरुरत पड़ती है (देविका जैन 2016)। समाज में कार्यरत महिलाएं अधिकतर अनौपचारिक क्षेत्रों से सम्बन्धित होती है जिसके लिए उन्हें न तो उचित वेतन मिलता है और न ही उनकें द्वारा पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवस्था बनायें रखने के लिए दिये गये योगदान (मुख्यतः घरेलू कार्य) को कार्य के रूप में समझा जाता है। विश्व के अधिकांश देशों द्वारा यह माना जा रहा है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार किये बिना राष्ट्र का विकास नही हो सकता है। बहुत से महत्वपूर्ण सूचकांकों में वृद्धि के बावजूद अधिकांश सामाजिक आर्थिक आकड़ों का विश्लेषण दर्शाता है कि साक्षरता, स्वास्थ्य, पोषण एवं उत्पादकता सम्बन्धी मुद्दों में भारत में महिलाएं अधिक सुविधा से वंचित रही हैं (कुमारी तृप्ति एण्ड मिश्रा ए0पी0 2015)। ऐसी स्थिति में स्वयं सहायता समूहों का विकास महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक तथा लैंगिक समानता सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, जिसके लिये सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहीं हैं।

दुनिया के विकासशील देशों में भारत का नाम प्रमुख है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के कुछ वर्षोपरान्त ही भारत की अर्थव्यवस्था ने तीव्र प्रगति की है लेकिन आज भी संयुक्तराष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति संतोषजनक नही है। (2018 मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130वां है।) गरीब और जरूरत

मंदों की स्थिति आज भी पहले जैसी है जिसमें महिलाओं की स्थिति बेहद दयनीय है तथा समाज में आधी आबादी कही जाने वाली महिलाओं की हालत को आज भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है (कौर लखविन्दर 2016)। जहाँ एक ओर शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ है लेकिन देश के आधे हिस्से की आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जहाँ पर्दा प्रथा, लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह, कुपोषण, मातृ मृत्यु जैसी समस्याएं मौजूद है। ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जाती रही है जिसमें स्वयं सहासता समूह महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रमुख प्रयास है (मुथैया पी0 2011)।

स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य गरीबों को संगठित करना तथा उन्हें गरीबी उन्मूलन हेतु प्रेरित करना है। अधिकांश समाजों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति पुरूषों की अपेक्षा दयनीय (निम्न) होती है (मुहम्मद नयीम 2014)। स्वयं सहायता समूहों का विकास महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक तथा लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने हेतु एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। जिसके लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह के लिए किये जा रहें प्रयास महिलाओं की स्थिति को सुधारने एवं उनकी क्षमताओं को पहचान कर उन्हें विकास एवं स्वावलम्बन के लिए नये क्षितिज प्रदान कर रहें हैं। वर्ष 1992–93 में स्वयं सहायता समूह को विभिन्न बैंकों से जोड़ा गया तथा औपचारिक रूप से 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के रूप में शुरूआत की गयी है। नवम्बर 2015, से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह के गठन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गरीब महिलाओं को मुख्यतः आर्थिक विकास की मुख्य धारा में प्रवेश कराने के लिये उन्हे स्वयं सहायता के रूप में देखा गया है। निर्धन महिलाओं के द्वारा समूह का सदस्यता ग्रहण करने पर उनमें आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। सामान्य समस्याओं पर समूह के सभी सदस्य मिलजुल कर कार्य करते हैं जो अकेले कार्य करने की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। समूहों में कार्य करने के दौरान महिलाओं की स्वयं निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है,

बैकों के साथ लेन–देन, कागजी कार्यवाही इत्यादि करने से उनमें आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है (सिन्हा, अमरजीत 2017)। समूह के सदस्य के रूप में महिलाओं की गतिशीलता में वृद्धि होती है। महिलाएं इन समूहों के माध्यम से पंचायत संस्थाओं, बैंक, सरकारी तंत्र तथा सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के सम्पर्क में आती हैं। जिससे उनके पास अधिक सूचना एवं संसाधन होते हैं। स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं जिससे परिवार में उनकी स्थिति में सुधार होता है।

समस्या का कथन

महिला स्वयं सहायता समूह के विकास को महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की ओर एक उचित पहल के रूप में देखा जा सकता है लेकिन समूह के सदस्य के रूप में कार्यों को करने के दौरान महिलाओं को परिवार के सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रकार की सीमाओं में बांधने का प्रयास किया जाता है। महिलाओं से, समाज के पूर्वाग्रह से ग्रसित परम्परागत भूमिकाओं के निर्वहन की अपेक्षा की जाती है जिससे वे समूह के कार्यों को करने में स्वतंत्र रूप से भाग नहीं ले पाती हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें लघु एवं कुटीर उद्योगों के उत्पादन एवं विपणन में लैंगिक भेदभाव एवं जातिगत भेदभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता ग्रहण करने का मुख्य उद्देश्य आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। समूह के नियमानुसार प्रत्येक सदस्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समूह की संचित निधि से ऋण ले सकता है जिसके लिए उन्हें एक निश्चित ब्याज देना होता है। इसके तहत महिलाएं छोटी धनराशि को लेने में तो सफल होती है परंतु बड़ी आवयकताओं की पूर्ति जैसे कि उद्योग की स्थापना हेतु धन की आवश्यकता पड़ती है तब वे ऋण लेना नहीं चाहती है जिससे समूह निधि में वृद्धि नहीं हो पाती है एवं समूह वृहद स्तर पर संगठित नहीं हो पाता है।

अध्ययन के उद्देश्य

- समूहों में कार्यरत महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति का पता लगाना।
- स्वयं सहायता समूह से जुड़े जातिगत तथा अन्य सामाजिक आयामों का अध्ययन करना।
- स्वयं सहायता समूह द्वारा हो रहे रोजगार सृजन की संभावनाओं का विश्लेषण करना।
- सरकार द्वारा किये जा रहे विभिन्न प्रयासों के बावजूद स्वयं सहायता समूहों के विकास की प्रक्रिया में आ रही बाधाओं को चिन्हित करना।

शोध–प्रश्न

- समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद महिलाओं की आर्थिक स्थिति किस प्रकार परिवर्तित हुई है?
- स्वयं सहायता समूह में कार्यरत महिलाओं को जातिगत भेदभाव से जुड़ी किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
- महिलाओं की आर्थिक सुदृढ़ता उनके सशक्तीकरण से किस प्रकार सम्बन्धित है?
- स्वयं सहायता समूह में कार्यरत महिलाओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों की कितनी जानकारी उपलब्ध है?

सैद्धान्तिक रूपरेखा

प्रकार्यवादियों के अनुसार समाज एक–दूसरे से जुड़ी विभिन्न अंगों या भागों वाली एक प्रणाली है जिसके प्रत्येक भाग द्वारा कुछ निश्चित प्रकार्य सम्पन्न किये जाते हैं। उसी प्रकार समूह समाज के विभिन्न भागों से सम्बद्ध एक कार्य प्रणाली है तथा समूह के विभिन्न भागों के द्वारा समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में

योगदान दिया जाता है। मर्टन के अनुसार प्रकट प्रकार्य वह है जिसकी अपेक्षा एक समाज या एक समूह के सदस्य करते है तथा प्रकार्य के संबन्ध में यह मानते है कि यह समाज के लिये सकारात्मक है। स्वयं सहायता समूह के गठन एवं समूह की सदस्यता लेने से महिलाओं में एकता बढ़ती है तथा उनका मनोबल बढ़ता है इसलिये समूह का प्रकार्य प्रकट प्रकार्य है।

श्रम विभाजन

दुर्खीम के अनुसार प्रारम्भिक समाज में श्रम विभाजन की प्रकृति सरल थी, स्त्रियों और पुरूषों के कार्य अलग–अलग थे। स्त्रियों को कार्य घरेलू कार्य (चार दीवार के अन्दर) तथा उत्पादन से सम्बन्धित कार्य पुरूषों के थे। इसकी आलोचना समकालीन नारीवादियों के द्वारा की गयी तथा उनके द्वारा बताया गया कि महिलाओं द्वारा भी आर्थिक कार्यों को उतनी ही दक्षता के साथ किया जाता है जितना कि पुरूषों के द्वारा।

सांकेतिक अंतः क्रियावाद

प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के द्वारा समाज के सम्बन्धों का अध्ययन सामाजिक कर्ताओं के मध्य होने वाली प्रतीकात्मक संम्प्रेषण के संन्दर्भ में करता है। इस सिद्धान्त में सभी मानवीय क्रियाओं में प्रतीको एवं भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला जाता है। समूह में महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी के कारण शान्त रहने या कुछ अलग क्रिया करने पर समूह की महिलाओं द्वारा उनके भाव या अर्थ को समझ कर उसके कारणों का पता लगाया जाता है तथा सभी सदस्यों द्वारा मिलकर समाधान करने का प्रयास किया जाता है।

उपाश्रित परिप्रेक्ष्य

उपाश्रित का अर्थ अधीनस्था जाति, आयु, जेण्डर, और इसी तरह की अन्य अभिव्यक्तियां इस पद के साथ जुड़ी हुई है। आधुनिक विश्व व्यवस्था, पूँजीवादी विश्व व्यवस्था है इस अर्थव्यवस्था में केन्द्र क्षेत्र को सर्वाधिक फायदा हुआ तथा परिधि क्षेत्र को सर्वाधिक नुकसान। वृद्धि की ओर उन्मुख विकास के साथ सामाजिक

विघटन और असमानताओं का जन्म हुआ जिसमें महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय होती गई। अधिकांश महिलाएं अनौपचारिक कार्यों से जुड़ी है जिसके लिये उन्हें या तो कोई पैसा नही मिलता है या पुरूषों से कम पारिश्रमिक (वेजेज) मिलता है तथा श्रम करने के बाद भी वे शोषण की शिकार रहती है। वस्तुकरण (कमोडिटी) की इस प्रक्रिया के कारण महिलायें परिधि में पँहुच जाती है और पुरूष केन्द्र में। विश्व व्यवस्था के शोषण के सिद्धान्त की श्रृंखला में महिलाओं को अंतिम स्थान पर रखा गया है।

भारत सरकार द्वारा किये जा रहे विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी देश अमीर–गरीब, ग्रामीण– नगरीय, पुरूष– महिला जैसे दो खेमों में बटता जा रहा है। सभी तक संसाधनों की पहुॅच को मुहैया कराने के लिये सरकार ट्रिकल डाउन अप्रोच को लेकर आयी। इसके बाद पुरूषों की स्थिति में थोडा सुधार आया लेकिन महिलाओं की स्थिति अभी भी दयनीय है वे ग्रामीण, गरीब एवं महिला है जिसकी स्थिति समाज में सबसे अंत में आती है।

भारत सरकार द्वारा महिलाओं की सामाजिक– आर्थिक उत्थान एवं गरीबी को कम करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए है। ऐसा ही एक कार्यक्रम 1990 में नाबार्ड एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा समर्थित स्वयं सहायता समूह था। अपनी स्थापना के बाद यह कार्यक्रम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार नामक योजना के तहत कार्य कर रहा है। यह भारत में गरीब ग्रामीण निवासियों के लिये महत्वपूर्ण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। ग्रामीणों में भी सबसे दयनीय स्थिति महिलाओं की होती है इसलिये योजना के तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के निर्माण के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।

सर्वोदय

स्वयं सहायता समूह सर्वोदय की संकल्पना पर आधारित सम्प्रत्यय है जो ना सिर्फ समाज के सभी व्यक्तियों के विकास पर आधारित है बल्कि समाज के सबसे दयनीय वर्ग गरीब महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने में प्रयासरत है। महिला स्वयं सहायता महिलाओं के सर्वांगीण विकास की ओर उन्मुख कार्यक्रम है। सर्वोदय शब्द

गाँधी जी द्वारा प्रतिपादित एक ऐसा विचार है जिसमें सर्वभूत हितेश्तः की कल्पना समाहित है। सर्वोदय सर्व और उदय के योग से बना है जिसके दो अर्थ है सर्वोदय अर्थात सबका उदय तथा दूसरा सभी प्रकार से उदय।

अध्ययन का महत्व

प्रस्तुत शोध में स्वयं सहायता समूह महिलाओं को सशक्त करने में किस प्रकार अपना योगदान दे रहा है इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। समूह निर्माण का मुख्य उद्देश्य निर्धनता से मुक्ति दिलाना तथा आर्थिक स्वावलम्बन प्राप्त करना है। अध्ययन के दौरान यह जाँचने का प्रयत्न किया गया है कि समूह अपने मूलभूत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो रहें हैं या नहीं। इन योजनाओं में समूह के लोग आपस में मिलकर कुछ धन जमा करते हैं और फिर नजदीकी बैंकों से जुड़कर अपने समूहों के विकास के लिये आवश्यक ऋण प्राप्त करते हैं। अध्ययन में बैंको का स्वयं सहायता समूहों के विकास में दिये जाने वाले प्रत्यक्ष योगदान को समझने का प्रयत्न किया गया है। समूहों में कार्यरत महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक स्थिति का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन पद्धति

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु उद्देश्य पूर्ण प्रतिदर्श के आधार पर हरदोई जिले का चयन किया गया है। जिले का क्षेत्रफल 5,100 कि0मी0 (2,000 वर्ग मील) है। जनगणना 2011 के अनुसार, जिले की कुल आबादी 40,92,845 है। जिसमें पुरूषों की संख्या 2,191442 तथा महिलाओं की संख्या 1,901,404 है। तथा लिंगानुपात 868 प्रति 1000 पुरूष पर महिला) है। जिले में साक्षरता का प्रतिशत 64.6 है। जिसमें महिला साक्षरता प्रतिशत केवल 53.2 है। जिले में गरीबी बेरोजगारी, मातृमृत्यु दर जैसी समस्याएं मौजूद है।

प्रतिदर्श चयन

हरदोई जिले में 19 ब्लॉक है। बेरोजगारी, गरीबी, एवं महिलाओं की स्थिति निम्न होने के कारण बहेन्दर ब्लॉक में स्वयं सहायता समूहों की संख्या अन्य ब्लॉक की तुलना में अधिक है। अध्ययन की उद्देश्य की पूर्ति हेतु बहेन्दर ब्लॉक का चयन उद्देश्य पूर्ण प्रतिदर्श के आधार पर किया गया है।

प्रतिदर्श चयन की तालिका

क्र0सं0	ग्राम पंचायत	अध्ययन मे शामिल कुल समूहों की संख्या	चयनित सदस्यों की संख्या
1	बहेन्दर कला	4	25
2	नन्दौली भटौली	4	25
3	कासिम पुर	4	25
4	महसोना	4	25
कुल		16	100

बहेन्दर ब्लॉक में 68 ग्राम पंचायतें कार्यरत है जिसमें, बहेन्दर कला, कासिमपुर, महसोना, नन्दौली भटौली में महिला स्वयं सहायता समूह की संख्या अन्य ग्राम पंचायतों की तुलना में अधिक है जिससे महिलाओं की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 4 समूह कार्यरत हैं। अतएव उपरोक्त सभी ग्राम पंचायतों में कार्यरत समूहों का अध्ययन किया गया है तथा समूह की 100 महिला सदस्यों को उत्तरदाता के रूप में चयनित किया गया है। इसके अतिरिक्त महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़े प्रशासनिक एवं गैर प्रशासनिक व्यक्तियों का समूह केन्द्रित साक्षात्कार लिया गया है।

शोध प्रारूप

अध्ययन की प्रकृति व उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्णनात्मक (Descriptive) सह व्याख्यात्मक (Explanatory) शोध विधि का प्रयोग किया गया है। जिससे अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं के बारे में स्पष्टीकरण हो सके।

तथ्य संकलन की विधि

प्रस्तुत अध्ययन हेतु मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रकार के तथ्यों पर ध्यान देते हुये तथ्य संकलन किया गया है। जिसमें प्राथमिक स्त्रोतों के अन्तर्गत साक्षात्कार अनुसूची तथा अवलोकन जैसी तकनीक का प्रयोग किया गया है। जिसके द्वारा समूह में कार्यरत महिलाओं के विकास (आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक) का स्तर जानने का प्रयत्न किया गया है। द्वितीयक स्त्रोत के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन एवं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण अजीविका मिशन की रिपोर्ट, विभिन्न लेखों, समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा इंटरनेट आदि तकनीकों की सहायता से तथ्य संकलित किए गए है।

तथ्यों का विश्लेषण एवं व्याख्या

प्रस्तुतशोध में मात्रात्मक तथ्यों के विश्लेषण हेतु एसपीएसएस का प्रयोग किया गया है तथा तथ्यों के प्रदर्शन एवं विश्लेषण हेतु आवृत्ति तालिका (Frequncy Table), क्रास टेबल, ग्रॉफ, पाई चार्ट का प्रयोग किया गया है। एवं गुणात्मक तथ्यों के विश्लेषण के लिये साक्षात्कार को पढ़कर मेमो लिखा गया इसके बाद तथ्यों की कोडिंग की गयी। अंत में समग्र दृष्टिकोणों के आधार पर थीम विकसित की गयी।

अध्ययन की चुनौतियाँ

- प्रतिदर्श में चयनित ज्यादातर महिलाओं के अशिक्षित होने के कारण महिलाओं से शोध से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के दौरान भाषा सम्बन्धी कठिनाई का सामना करना पड़ा।
- अध्ययन क्षेत्र में पक्की सड़के न होने के कारण गाँव के अन्दर चल कर जाने में समस्या हुई क्योंकि सड़क न बने होने के कारण यातायात के साधनों का अभाव था।
- उत्तरदाताओं की घर से सम्बन्धित कार्यो (कृषि, पशुपालन) में व्यस्तता के कारण, शोधार्थी को शोध से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।
- धन एवं समय के अभाव के कारण शोध सम्बन्धी तथ्यों का संकलन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

विकास का अर्थ एवं मानवीय एवं सामाजिक आयाम

विकास की प्रारम्भिक क्लासिकी परिभाषा आर्थिक अर्थों के साथ की जाती है जिसे राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय के रूप में लिया जाता है। कभी–कभी यह भी समझ लिया जाता है कि वृद्धि विकास से थोड़ा–थोड़ा करके नीचे पहुँचने वाला प्रभाव से संसाधनों का समान बटवारा होगा। विकास की इस प्रकिया ने मानवता के हित में वांछनीय परिणाम दिये हैं विशेषकर विकासशील देशों में।

सार्वभौमिक सूचकांकों के संदर्भ मे **डडले सियर्स** ने कुछ प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डाला, उन्होंने मानव व्यक्तित्व के सार्थक विकास को सामाजिक विकास कहा तथा सामाजिक विकास के लिये इन सूचकांकों –उत्पादन एवं साधनों का वितरण, मानव की प्रगति के लिये उपलब्ध विकल्पों का विस्तार, मानव क्षमताओं का विस्तार व उपयोग, आजीविका की सुरक्षा, सामाजिक–आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा भागीदारी की प्रक्रिया को सामान महत्व देना है। **अमर्त्य सेन** के अनुसार विकास का

लक्ष्य निरक्षरता, बीमारी, गरीबी, संसाधनों तक पहुँच की कमी, राजनीतिक एवं नागरिक स्वतन्त्रता की कमी इत्यादि बाधाओं को दूर करना हैं।

सामाजिक विकास की अवधारणा में आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष, सामाजिक सुरक्षा एवं पुनर्वास व अन्य तत्वों से युक्त समाज के सम्पूर्ण विकास पर बल दिया जाता है। सामाजिक कल्याणकारी सेवाओं के अतिरिक्त भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं, जो सामाजिक विकास के परिप्रेक्ष्य में अत्यधिक प्रासंगिक है। इनमें से कुछ प्रमुख कार्यक्रम–आय का समुचित वितरण, आय वृद्धि, योजनाओं के कार्यान्वयन एवं नियोजन में जनसहभागिता, ग्राम नगरीकरण, औ़द्योगिक संरचना, पर्यावरण सम्बन्धी नीतियाँ आदि हैं।

डब्लू.लॉयड वार्नर के अनुसार, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन स्तर में वृद्धि ही सामाजिक विकास है।

विकास शब्द मात्रा के साथ–साथ गुण का भी बोध कराता है किसी समूह, देश की अर्थव्यवस्था में यदि आर्थिक विकास हो रहा है तो मात्रात्मक प्रगति के साथ–साथ वहाँ गुणात्मक प्रगति भी हो रही है। गुणात्मक और मात्रात्मक प्रगति से आशय है कि विकास में वृद्धि समाहित है। जहां किसी देश सकल आय का बढ़ना संवृद्धि दर्शाता है, वहीं स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, सुरक्षा आदि की बढ़ोत्तरी उसके विकास का द्योतक है। लेकिन विकास के साथ–साथ संवृद्धि का होना भी आवश्यक है क्योंकि जीवन में गुणवत्ता वृद्धि के लिये धन चाहिये, जो संवृद्धि से प्राप्त होता है। अतः संवृद्धि और विकास की प्राकल्पनायें इन्हीं दोनों में समाहित हैं।

आर्थिक विकास के आधुनिक संकेतक

मानव विकास सूचकांक, लैंगिक विकास सूचकांक, लैंगिक सशक्तीकरण सूचकांक, लैंगिक खुशहाली सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तकनीकी उपलब्धि सूचकांक तथा वैश्विक खुशहाली सूचकांक है।

महिलाओं का विकास

महिलाएं सदैव से ही पारिवारिक, सामाजिक व्यवस्था का आधार रही है। समाज में महिलाओं की स्थिति जितनी प्रभावशाली सशक्त और सुदृढ़ होती है समाज उतना ही उन्नत प्रगतिशील सशक्त होता है। किसी भी समाज का विकास करने के लिये वहॉ के नागरिको को समान अधिकार देना प्रथम आवश्यकता है। प्रायः सभी समाजों में महिलाओं की स्थिति अत्यंत ही दयनीय रही है उन्हें दोयम दर्जे का समझा जाता है। विकसित देशों में स्वतंत्रता के पश्चात भी स्त्रियों को राजनैतिक, सामाजिक अधिकार प्राप्त नही थे। 1688 में संम्पन्न इग्लैण्ड़ की ग्लोरियस क्रान्ति ने सामंतवाद का अन्त किया तथा समानता एवं स्वतंत्रता प्रचारित करने में मदद की। फ्रांस की क्रान्ति के दरम्यान सुविधा सम्पन्न तबके के विरोध में नागरिकता का एक नया अर्थ सामनें आया जिसके तहत किसी भी राष्ट्र पर शासन करने की भूमिका निभाने वाले किसी भी व्यक्ति को नागरिक माना गया। प्रबोधन काल के मतानुसार नागरिकता का विचार सिर्फ पुरूषों के लिये ही लागू होते है। **मेंडलें गुथरीथ** का तर्क है कि प्रबोधन काल के कुछ लेखकों स्त्री के विरोध और ज्यादातर क्रान्तिकारी प्रवक्ताओं के द्वारा इस विरोध का निष्ठापूर्ण अनुसरण के कारण महिलाएं पूर्ण नागरिकता से दरकिनार हो गयी। **रूसों** ने स्त्री शिक्षा के विषय में एक लेख में लिखा है कि स्त्री और पुरूष एक दूसरे के लिये बने है लेकिन उनकी परस्पर निर्भरता समान नही है हम लोग उनके बिना अच्छी तरह से जी सकते है लेकिन वे हमारे बिना नही। इसलिये महिलाओं की शिक्षा की संम्पूर्ण योजना पुरूषों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। पुरूषों को खुश रखना, उनके लिए उपयोगी बनना, उनका प्यार और सम्मान जीतना, उन्हें बच्चों जैसे बडा करना बडों की तरह देखभाल करना, उनकी गलतियों को सुधारना, उन्हें सान्तवना देना ये सब युगों से नारियों के कर्तव्य रहें है। इसके लिए उन्हें बचपन से ही पढाया जाना चाहिए। पश्चिमी देशों में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लिखित संविधान में भी महिलाओं के अधिकारों की चर्चा नही की गयी (एपेलराउथ एस0, एडल्स एल0 डी0 2011)। 4 जुलाई 1776 के अमरीकी घोषणा पत्र ने मानवीय समानता के क्रान्तिकारी विचारों का समर्थन किया। 1789 में अमरीकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स के कारण अमरीकी नागरिकों कों बहुत सारे

अधिकार मिले। हॉलाकि घोषणा द्वारा किये गये वायदे सब पर लागू नही थे। घोषणा पर हस्ताक्षर के बाद भी महिलाओं को राजनीतिक नागरिकता से बाहर ही रखा गया (न्यूमैन डेविड एम0 2012)।

नारीवाद का विकास एवं समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य

नारीवाद सामान्य तौर पर नारीवाद को एक ऐसे सामाजिक आन्दोलन के रूप में देखा जाता है जिसकी सम्बद्धता सांस्कृतिक संदर्भो, राजनीतिक मानदण्ड़ों तथा विधि विधानों से रही है और जो स्त्री एवं पुरूष के बीच प्रत्येक स्तर पर सामानता स्थापित करने की दिशा में व्यवहारिक एवं विमर्शात्मक प्रयास भी करता है। आमतौर पर नारीवादी आन्दोलन का विकास मताधिकार के मुद्दे पर हुआ। मताधिकार के लिए महिलाओं के संगठित संघर्ष या 'सफरेज' आन्दोलन (जैसा सामान्य तौर पर कहा गया) ने मताधिकार को राजनीतिक अधिकार के रूप में अधिक महत्व दिया (एपेलराउथ एस0, एडल्स एल0 डी0 2011)। महिला आन्दोलन पर जो शोध और साहित्य है उन्हें सामान्यतः विभिन्न कालों एवं लहरों में बांट दिया गया।

भारतीय संविधान एवं सरकार के प्रयास– महिलाओं का एवं उनके माध्यम से देश का विकास करने के उद्देश्य से संविधान, कानून और भारत सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 में नारी हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है। संवधिान की प्रस्तावना में–"प्रतिष्ठा और अवसर की समता" तथा व्यक्ति की गरिमा आदि वाक्यांशों का प्रयोग कर यह स्पष्ट किया गया है कि सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध हैं। महिला विकास हेतु प्रयासों का सिलसिला प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) से प्रारंभ हो गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956–61) से लेकर पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974–79) में महिलाओं के प्रति कल्याणकारी दृष्टिकोण अपनाया गया एवं वर्ष 1976 में समाज कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक महिला कल्याण एवं विकास ब्यूरो की स्थापना की गई, किन्तु छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) से महिला विकास पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। इस योजना में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को महिला विकास का आवश्यक क्षेत्र मानकर कृषि व उससे जुड़े कार्य (डेयरी, पोल्ट्री, लघु व कुटीर

उद्योगों, पशुपालन आदि) में महिलाओं हेतु रोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया गया। सातवी पंचवर्षीय योजना (1985–90) में सपोर्ट टू ट्रेनिंग एण्ड एम्पलायमेंट (1986–87) एवं निर्धन व ग्रामीण महिलाओं हेतु जागरूकता निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और महिला एवं बाल विकास विभाग (1985) की स्थापना की गई। आठवी पंचवर्षीय योजना (1990–95) में महिला विकास हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना, संविधान का 73वां एवं 74वां संशोधन, जिसके द्वारा महिलाओं को पंचायत व नगर निकायों के चुनाव में सभी श्रेणियों में सभी स्तरों पर एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया। नवीं पंचवर्षीय योजना (1995–2000) के अंतर्गत किसी भी कार्यक्रम या योजना का कम से कम 30 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं से संबंधित क्षेत्रों तक पहुँचाने व समुचित मॉनिटरिंग करने संबंधी निर्देश दिए गए। वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया और स्वयंसिद्धा (2001–02) एवं स्वाधार (2001–02) योजना प्रारंभ की गई। केन्द्रीय सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1999 से संपूर्ण देश में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लागू की गई तथा समान्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और इससे सम्बद्ध अनेक कार्यक्रमों जैसे ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training of Rural Youth for Self employment –TRYSEM) ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (Development of Women and Children in Rural Areas - DWCRA) ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजारों की किट की आपूर्ति का कार्यक्रम (Supply of Improved Toolkits in Rural Artisans), गंगा कल्याण योजना (Ganga Kalyan Yojna-GKY) तथा दस लाख कुआं योजना (Million Wells Scheme-MWS) की योजनाओं को स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत समाहित कर दिया गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण बाल विकास देश की जनसंख्या विशेषकर दुर्बल वर्गो की पोषण स्थिति में सुधार हेतु तीन विशेष कार्यबलों का गठन कर महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास किया गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) में महिला साक्षरता को 85 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया

है इसमें महिलाओं के समावेशी विकास, सामाजिक व राजनैतिक सशक्तिकरण एवं स्त्री समानता और न्याय को प्रमुखता दी गयी।

प्रमुख निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रस्तुत शोध का अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह महिलाओं के विकास में स्वयं सहायता समूह की भूमिका का आंकलन करना तथा स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में महिलाओं के विकास के विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास करना प्रमुख रहा है।

समूहों में कार्यरत महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति

शोध में यह जाँचने का प्रयास किया गया है कि स्वयं सहायता समूह की सदस्यता ग्रहण करने के पूर्व महिलाओं की पारिवारिक स्थिति कैसी थी। वे परिवार के कार्यों को करने में निर्णय ले पाती थी या नही तथा समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं की पारिवारिक स्थिति में सुधार हुआ है, महिलाओं ने समूह की सदस्यता क्यो ग्रहण की है, समूह से जुड़ने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है या नही तथा साथ ही साथ यह भी देखने का प्रयास किया गया कि समूह में जुड़ने से पूर्व क्या महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक थी और समूह से जुड़ने के बाद वे राजनीतिक कार्यो मे भाग ले रही है।

- समाज के सभी वर्ग की महिलाओं ने समूह की सदस्यता ग्रहण है जिसमें 90 प्रतिशत हिन्दू महिलाएं है तथा मुस्लिम महिलाओं का प्रतिशत 10 है तथा हिन्दू महिलाओं में समूह की सदस्यता ग्रहण करने वाली महिलाओं का अधिकतम 35 प्रतिशत अनुसूचित जाति का है और सबसे कम 15 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का है।
- वैवाहिक स्थिति का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि समूह की सदस्यता स्वीकार करने वाली महिलाओं में विधवा महिलायें, बालिकायें तथा विवाहित महिलाये है जिसमें सबसे अधिक 84 प्रतिशत विवाहित महिलायें है तथा सबसे कम 4 प्रतिशत विधवा महिलाओं का है।

- महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूह की सदस्यता ग्रहण करने के कारणों का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 50 प्रतिशत महिलाओं ने आर्थिक बचत और समय पर ऋण दोनो कारणों के कारण समूह की सदस्यता ग्रहण की तथा सबसे कम 9 प्रतिशत महिलाओं ने अन्य कारण (एक बालिका के अनुसार हमे ग्रामीण महिलाओं के लिये कुछ करना था, एक अन्य बालिका के अनुसार *मम्मी के समूह में कोई पढा लिखा नही था आदि*) से समूह की सदस्यता ग्रहण की।
- समूह से लिए गए ऋण के उपयोग के आधार पर विश्लेषण करने से स्पष्ट होंता है कि समूह की सर्वाधिक 37 प्रतिशत महिलाए ऋण का प्रयोग सभी कार्यो कृषि (26 प्रतिशत) पशुपालन (9प्रतिशत), बच्चों की शिक्षा (3 प्रतिशत) को करने में करती है। सबसे कम 8 प्रतिशत महिलाओ द्वारा अभी तक कोई ऋण नही लिया गया है।
- 36 प्रतिशत महिलायें यह मानती है कि स्वयं सहायता समूह की सदस्यता ग्रहण के बाद पूर्णतः उनकी पारिवारिक स्थिति में सुधार हुआ है तथा केवल 6 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि अभी भी उनकी पारिवारिक स्थिति में कोई सुधार नही हुआ है।
- आंकड़ो के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 34 प्रतिशत महिलायें ब्लॉक स्तर पर चयनित होने पर उसकी अधिकांश जिम्मेदारियो को पूरा करने में स्वयं को सक्षम पाती है। तथा केवल 06 प्रतिशत महिलायें ब्लाक स्तर पर चयनित होने पर उसकी जिम्मेदारियो को पूरा करने के में स्वयं को सक्षम नही पाती है।
- आकडों से स्पष्ट होता है कि समूह की 37 प्रतिशत महिलाओं द्वारा ंकभी–कभी ही स्वतंत्र रूप से मतदान से सम्बन्धित निर्णय लिये जाते थे, तथा 20 प्रतिशत महिलायें स्वतंत्र रूप से मतदान से सम्बन्धित निर्णय नही ले पाती थी। जिससे स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिलाओं द्वारा ंहमेशा स्वतंत्र रूप से मतदान से जुडे निर्णय नही ले पाती थी। तथा समूह की सदस्यता तथा समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद 37 प्रतिशत महिलाये

अधिकाशंतः, 32 प्रतिशत महिलायें हमेशा मतदान से सम्बन्धित से सम्बन्धित निर्णय ले रही है। जो शरीरामुलू एण्ड हुसैन खान (2008) द्वारा बताये गये दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि समूह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगो के जीवन स्तर में सुधार के इरादे से लागू किया गया है यह आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है लेखक ने समूह के सदस्यों का साक्षात्कार लिया और उनकी राजनीतिक सक्रियता, समूह से जुडने के बाद मताधिकार से जुडे निर्णय लेने वृद्धि के बारें में बताया गया।

- स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओ विकास में दिये जा रहे योगदान के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के आकडों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 37 प्रतिशत महिलाये यह मानती है कि समूह महिलाओं के विकास मे पूर्णतः योगदान दे रहा है तथा केवल 7 प्रतिशत महिलायें यह मानती है कि समूह महिलाओ के विकास मे योगदान नही दे रहा है (कारण समूह की सदस्यता ग्रहण किये अभी अधिक समय नही हुआ, समूह से अभी तक ऋण नही लिया गया)

स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पन्न रोजगार

शोध के उद्देश्यों के अनुरूप यह देखने का प्रयास किया गया कि क्या स्वयं सहायता समूह की सहायता से महिलायें रोजगार कर पा रही है, स्वयं यहायता समूह से लिये गये ऋण उपयोग महिलायें किस प्रकार के कार्यो को करने में कर रही हैं, समूह के तहत महिलाओं को अन्य कौन– कौन से पद प्राप्त हुये है।

- महिलायें किस प्रकार के स्वयं सहायता समूह के कार्यो का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि 50 प्रतिशत महिलायें कुटीर उद्योग (जैविक खाद बनाना, सामूहिक डेयरी, मशरूम उत्पादन,) करने वाले समूह से सम्बन्धित है जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है तथा इसको धारणीय विकास की तरफ एक पहल के रूप में देखा जा सकता है। 5 प्रतिशत महिलाओं के समूह द्वारा कोई कार्य नही किया जाता है।

- स्वयं सहायता समूह की सदस्यता ग्रहण करने के बाद महिलाओं को समूह से सम्बन्धित अन्य पदों–जैसे ग्राम संगठन की सदस्यता तथा उससे सम्बन्धित कमेटी की सदस्यता, समूह सखी, युवा सखी, स्वास्थ्य सखी, ब्लॉक सखी की सदस्यता प्राप्त करने से सम्बन्धित तालिका का विश्लेषण करने पर स्पष्ट होता है कि 37 महिलायें कमेटी की सदस्य, 12 महिलाये ग्राम संगठन् एवं कमेटी की सदस्य, 3 महिलायें कमेटी, ग्राम संगठन एवं समूह सखी तीनों पदो से सम्बन्धित है तथा 2 महिलायें समूह सखी है(जिससे महिलाओं की आय में वृद्धि होती है तथा उन्हें स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा आदि से सम्बन्धित जानकरी प्राप्त होती है)। अजीविका सखी ने बताया कि

"पहिले हमका कौनो जानकारी रहिबे न भे, पहिले गरीबियों ज्यादा रही, कमाई तो ज्यादा होत ना रही ना ही हम बीज और खाद के बारें में जानत रहे बहिनी। का है कि आदमी लोग खेत पर जात रहिते थे और वही सब काम कर लेते थे और हम लोग वही निराना गोडना जानते थे और खेत कटने के समय फसल कटवाने पँहुच जाते थे।"

इसी सन्दर्भ में एक अन्य सखी से पूछे जाने पर वह बताती है कि

समूह में प्रशिक्षण के माध्यम से हम विभिन्न फसलों की विभिन्न किसमों से अवगत हो गये है, वहॉ हमे वर्मी खाद शिवांश खाद बनाने का भी प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया जिससे हमारी फसलों की उपज 15 से 40 प्रतिशत बढी है, खाद के प्रयोग से खेतों में 50 प्रतिशत से कम पानी लगता। फसलों को बीमारियों से लडने की ताकत मिलती है जिससे कम रासायनिक कीटनाशकों की जरूरत पडती है और साथ–साथ हमारी जमीन ज्यादा उपजाऊ बनती है जिससे न सिर्फ हम बल्कि आगे आने वाली पीढियॉ भी खेती करके जीवन यापन कर सकती है।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि स्वयं सहायता समूह के अन्तर्गत चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रम धारणीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक पहल के रूप में योगदान दे रहे है। इस प्रकार मेरा यह निष्कर्ष **फर्जेन सेख खतिबी एण्ड मिश इन्दिरा (2011**) शोध का समर्थन करता है जिसमें उन्होने बताया है कि संयुक्त राष्ट्र

सहसात्राब्दि विकास लक्ष्यों मे लैंगिक समानता बढ़ावा देने और पार्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चत करने का लक्ष्य शामिल है। शोध में बताया गया है कि स्वयं सहायता समूह सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को प्राप्त करने में अपना योगदान देने के लिये प्रतिबद्ध है जिसमें प्रमुख लक्ष्य है– जेंडर इक्वालिटी, महिलाओं का सशक्तीकरण और पार्यावरणीय स्थिरता को सुनिश्चित करना।

स्वास्थ्य सखी बताती है कि

हम लोग, जो गर्भवती महिलाएं है या जो नवजात शिशुओं की माँ है हम लोग उनके घर जाकर उन्हें स्वास्थ्य के संदेश देते है जैसे गर्भवती महिलाओं को पोषण के बारें में बताते है तथा उन्हे यह बतातें हैं कि बच्चें के जन्म के एक घण्टे के अन्दर ही माँ का दूध पिलाना है। नवजात बच्चों को टीकाकरण कराने ले जाते है तथा गर्भवती महिला की गोदभराई की जाती उसमें हम उन्हें खान–पान के बारें में बतातें है। केएमसी के बारें मे भी महिलाओ को बताते है कि बच्चों को कैसे केएमसी देना चाहिये। हम समूह की महिलाओं को आँगनबाडी, आशा आदि से भी जोड़तें है।

इससे निष्कर्ष निकलता है कि समूह के माध्यम से महलाएं स्वास्थ, पोषण एवं स्वच्छता के बारें में जानकारी प्राप्त करती है जिससे मातृ मृत्यु दर, कुपोषण जैसी समस्यायें कम होती है। **एम0 डाइवान (2008)** ने भी अपने अध्ययन में इस तथ्य को बताया है कि स्वयं सहायता समूह को महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये प्रभावी रणनीति के रूप में मान्यता दी गयी है महिलाओं का समस्त सशक्तीकरण उनके आर्थिक सशक्तीकरण पर निर्भर है। इसलिये इन समूहों के माध्यम से महिलायें स्वास्थ, पोषण, कृषि वानिकी, जैसे मुद्दे पर कार्य करती है। इसके अलावा सूक्ष्म गतिविधि के माध्यम से आय सृजित करती है।

- स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओ विकास में दिये जा रहे योगदान के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं के आकडों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 42 प्रतिशत महिलायें यह मानती है कि समूह से महिलाओ का सभी (आर्थिक सशक्तीकरण, नेत्रत्व की क्षमता,तथा जागरूकता) विकास होता है।

स्वयं सहायता समूह से जुड़े जातिगत तथा अन्य सामाजिक आयाम

स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलायें समूह से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के कार्यों को करती है शोध के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुये यह देखने का प्रयास किया गया है कि क्या समूह से जुड़े कार्यो को करते समय उन्हें जातिगत भेदभाव, दोहरी भूमिका, लैगिंक भेदभाव से सम्बन्धित समस्याओं का सामना करना पडता है

- समूह से सम्बन्धित कार्यों को करने के दौरान जातिगत भेदभाव से जुडी समस्याओं के आधार पर आकड़ों का विश्लेषण करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि समूह की सर्वाधिक 37 प्रतिशत महिलाएं अधिकांशतः जातिगत भेदभाव से जुडी समस्याओं का सामना करती है जिससे स्पष्ट होता है कि समाज मे आज भी जाति आधारित भेदभाव होता है। तथा 16 प्रतिशत महिलाओं को जातिगत भेदभाव से जुडी किसी प्रकार की कोई समस्या नही होती है।
- समूह के कार्यों को करने के दौरान हो रहे लैंगिक भेदभाव के आधार पर आकडों के विश्लेषण से निष्कर्ष निकलता है कि सर्वाधिक 49 प्रतिशत महिलाये यह मानती है कि उन्हे कभी –कभी लैंगिक भेदभाव का सामना करना पडता है तथा केवल 16 प्रतिशत महिलायें यह मानती है कि उन्हे कभी नही लैंगिक भेदभाव का सामना करना पडता है।

स्वयं सहायता समूहों के विकास की प्रक्रिया में आ रही बाधाएं

वर्तमान में स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं के विकस के सरकारी संस्थायें एवं गैर सरकारी संस्थायें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। शोध के उद्देश्य के अनुरूप यह देखने का प्रयास किया गया कि विभिन्न प्रयासों के बाद भी स्वयं सहायता समूहों का अधिक गठन क्यों नही हो पा रहा है।

- स्वयं सहायता समूह की सबसे अधिक 32 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह बताया है गया कि उनके ग्राम पंचायत मे सभी महिलाओं द्वारा समूह की

सदस्यता ग्रहण न करने का कारण कर्ज है, 23 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह बताया गया कि उनके ग्राम पंचायत मे कुछ महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता इसलिये नही ग्रहण की गयी क्योकि वे आर्थिक रूप से सशक्त है, 20 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह बताया गया कि उनके ग्राम पंचायत मे कुछ महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता इसलिए नही ग्रहण की गयी क्योकि उन्हे पारिवारिक स्वीकृति नही है, 16 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह बताया गया कि उनके ग्राम पंचायत मे कुछ महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता इसलिये ग्रहण न करने का कारण पारिवारिक स्वीकृति अभाव, कर्ज तथा आर्थिक सशक्ति है तथा 9 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह बताया गया कि उनके ग्राम पंचायत मे कुछ महिलाओं द्वारा समूह की सदस्यता न ग्रहण करने का कारण उनकी स्वयं की इच्छा का न होना है।

सुझाव

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सुझाव

- स्वयं सहायता समूह जैसे अनौपचारिक संगठन मे 20 से अधिक सदस्यों का समावेश नही होना चाहिए और न ही एक गॉव मे छोटे– छोटे समूह होने चाहिए।
- ऋण की राशि का सम्बन्ध बचत से होना चाहिए, अधिक बचत होने से समूह मे निधि भी अधिक उपलब्ध होगी। लेकिन समूह को निश्चित रूप से तय करना चाहिये कि बचत का कितना भाग ऋण के रूप में दिया जाना है। क्याकि बचत और ऋण के बीच निश्चित अनुपात, समूह के स्थायित्व को प्रदर्शित करती हैं।
- समूह में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, तथा सचिव के पद का चयन चक्रीय (रोटेशन) पद्धति के अनुसार किया जाना चाहिए जिससे कि सभी सदस्यों को इन पदों पर चयनित होने का अवसर प्राप्त हो सके।

- समूहो को संगठित या बेहतर बनाने का कार्य सरकारी प्रशिक्षण कर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों पर ही निर्भर करता है। प्रशिक्षण कर्ताओं को चाहिए की वे प्रशिक्षण सही एवं प्रभावी ढंग से प्रदान करे।
- समूह के विकास के लिए आवश्यक है कि समूह के कार्य लोकतान्त्रिक विधि और सर्वसम्मति के आधार पर किया जाने चाहिये
- समूह से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के निर्णय समूह के सभी सदस्यों का भाग लेना निश्चत होना चाहिए।
- समूह बचत या परिक्रमा निधि की लेन–देन करने के सम्बन्ध मे समूह को अपने नियम और उपनियम विकसित करने चाहिये; इसके साथ ही संगठनो के द्वारा भी समूहों को प्रेरित करने के लिये आवश्यक कदम उठाते रहना चाहिये।

सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को सुझाव

- संस्थाओं द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को समय– समय पर विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करते रहना चाहिएं।
- स्वयं सहायता समूह के गठन करवाते समय यह निश्चित रूप से तय कर लेना चाहिएं की महिलाएं समूह के नियमों से भलीभॉति परिचित हो गयी है अन्यथा समूह अधिक समय तक कार्यरत नही रह पाता है।
- समूह की महिलाओं को समूह निधि में कैसे बढत की जाती है, बैंक में खाता कैसे खुलवाया जाता है, समूह किस प्रकार से सामूहिक कार्यो को कर सकता है आदि जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।